

ले ज गुरमीत सिंह

पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से नि)

राज्यपाल/कुलाधिपति,

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।



लोक भवन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सं० : 32210/जी0एस0(शिक्षा)/C11-01/(TC) /2026

देहरादून : दिनांक 22 जुलाई, 2026

: आदेश :

एतद्वारा, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के कुलपति पद के दायित्वों हेतु अन्तरिम व्यवस्था सम्बन्धी पूर्व आदेश संख्या : 29729/जी0एस0(शिक्षा)/C11-01/2015 दिनांक 10 अप्रैल, 2026 को अतिक्रमित करते हुए श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 के अध्याय-3 की धारा-10(2) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के क्रम में धारा-10(1) में कुलाधिपति में निहित शक्तियों के अधीन प्रो० अम्बरीश कुमार महाजन को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष या 68 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने अथवा अग्रेत्तर आदेश, जो भी पहले हो तक, की अवधि के लिए श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल का कुलपति नियुक्त किया जाता है।

हो-

(ले ज गुरमीत सिंह)

कुलाधिपति।

संख्या : 32210 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/C11-01(TC)/2026 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. कुलपति-हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला (हि०प्र०)।
7. प्रो० अम्बरीश कुमार महाजन, वरिष्ठ प्रोफेसर-पर्यावरण विज्ञान विभाग, विभागाध्यक्ष-भूगर्भ विज्ञान विभाग एवं निदेशक-रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।
8. प्रो० एन०के० जोशी, कुलपति, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।
9. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
10. कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।
11. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रीना जोशी)

कुलाधिपति के अपर सचिव।